

राष्ट्रीय महिला हेल्प लाईन (केन्द्र पोषित)

योजनान्तर्गत हिंसा/अपराध/दुर्व्यवहार से पीड़ित महिलाओं को विशेष परिस्थिति में उपयुक्त सहायता हेतु 24X7 टोल फ्री हेल्प लाइन नं० 181 संचालित की जा रही है जिसके तहत किसी भी पीड़िता का उक्त सेवा के माध्यम से आपातकालीन एवं आवश्यक परिस्थितियों उपयुक्त संस्थाओं जैसे- चिकित्सालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/संरक्षण अधिकारी/ **One Stop Centre** द्वारा सुविधा प्रदान करना एवं सरकारी योजना/कार्यक्रम की जानकारी भी उपलब्ध कराना है।